मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री जवाहरलाल जैन आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 55/2019 वादपत्र धारा 88 आर.टी.एक्ट. 1955

राजुपुरी पिता नानुपुरी गोस्वामी निवासी देवरी तह. बडीसादडी

– वादी

।। बनाम ।।

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बडीसादडी

– प्रतिवादी

वादी की ओर से वकील एम.के. गोस्वामी की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम डिक्री के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि मौजा देवरी की खाता संख्या 110 (नई) व 95 (पुरानी) की आ.नं. 3, 27, 127, 128, 153, 154, 172, 173, 179, 180, 181, 183, 185 कुल किता 13 कुल रकबा 4.15 हैक्ट. तथा खाता सं. 45(नई) 35(पुरानी) की आ.नं. 5 रकबा 0.04 हैक्ट. तथा मौजा पिनोदड़ा की खाता संख्या 56(नई) व 42 (पुरानी) की आ.नं. 190, 191, 192, 193, 342 कुल किता 5 रकबा 3.37 हैक्ट. में वादी राजुपुरी पिता नारायणपुरी के बजाय राजुपुरी पिता नानुपुरी गुसाई घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकोर्ड में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्चे.....X..... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित.....X..... को दी जावे।

यह आज दिनांक..22-3-21.....को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

मोहर

(जवाहरलाल जैन)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

न्यायालय सहायक कलक्टर, बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2021/42 दिनांक : 22.3.21

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।

(जवाहरलाल जैन)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahar Lal Jain
Date: 2021.04.01 18:12:02 IST
Reason: SelfAttested